

उत्तराखण्ड शासन,
आवास विभाग,
संख्या— ४३०/V-२/२०१६-०६(आ०)/२०१६
देहरादूनः दिनांक १६ मार्च, २०१६

अधिसूचना

उत्तराखण्ड राज्य में मेट्रो रेल/मोनो रेल एवं भवन निर्माण आदि के नियोजन, निर्माण, सुधार, विकास, प्रबन्धन, नियंत्रण तथा रख-रखाव हेतु “उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड” का गठन Companies Act, 2013 के अन्तर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(आ० ४३० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या— ४३०/V/आ०-२०१६-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषितः—

- (1) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- (2) अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
- (3) मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ पौड़ी/नैनीताल।
- (4) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- (5) मुख्य प्रशासक, आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- (6) उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून।
- (7) सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, दूनघाटी/नैनीताल।
- (8) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, हरिद्वार।
- (9) सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- (10) गार्ड बुक।

(आ० ४३० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।